

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी0सी0आर्य)

सत्र प्रकरण क्रमांक: 170/2014

संस्थित दिनांक-24/06/2014

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

वि रू द्ध

- 1- बलवीर सिंह पुत्र सीताराम,
आयु 28 साल
- 2- दीनदयाल सिंह पुत्र सीताराम,
आयु 32 साल,
निवासीगण ग्राम माहों थाना मालनपुर जिला भिण्ड
.....आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
आरोपीगण द्वारा श्री के.के. शुक्ला अधिवक्ता ।

-:- निर्णय -:-

(आज दिनांक 30 सितंबर 2014 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण दीनदयाल एवं बलवीर सिंह के विरूद्ध धारा 302/34 भा0द0वि0 एवं के तहत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 16/3/14 के शाम 7 बजे ग्राम माहो नेहर की पुलिया पर आहत दिनेश को जान से मारने की नीयत से सामान्य आशय का निर्माण किया और उसके अग्रसरण में मृतक दिनेश को मारपीट कर उसे नेहर के पुल के ऊपर से फेंककर उसकी शाशय हत्या की ।
2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य है कि आरोपीगण आपस में सगे भाई हैं एवं मृतक दिनेश व आरोपीगण एक ही गांव के निवासी हैं ।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि 16/3/14 को फरियादी चंदन सिंह जाटव शाम के 7 बजे आहत दिनेश के उपस्थित होकर थाना मालनपुर में रिपोर्ट की, कि ग्राम माहों के दीनदयाल व बलवीर दिनेश को घर से बुलाकर मोटरसाइकिल पर टुडीला की तरफ ले गये और नहर पर जाकर शराब पीने के रुपये देने के ऊपर से झगडा करने लगे, इसी बात पर आरोपीगण ने नहर के पुल के ऊपर से नीचे नहर में फेंक दिया जिससे दिनेश गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके नाक और कान से खून

निकल आया, पास ही खेत में काम कर रहे विजय जाटव ने गांव में खबर की, तब दिनेश का भाई अमर सिंह और जितेन्द्र, मुन्ना, रंजीत, दिनेश को देखने के लिए नहर पर गये जो नीचे नहर में पड़ा हुआ था, तब उसे मौटरसाइकिल पर बिठाकर घायल व गंभीर अवस्था में थाना लेकर आये ।

4. उक्त आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अप.क्र.-64/14 अंतर्गत धारा- 307, 34 भा.द.वि. पर लेखबद्ध की जाकर आहत का मेडीकल एवं इलाज करवाया गया, दौराने विवेचना आहत दिनेश को आयी गंभीर चोटों के कारण दौराने इलाज दिनेश जाटव की मृत्यु हो जाने से धारा-302 भा.द.वि. का इजाफा किया गया । तत्पश्चात् सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपीगण के विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया ।
5. जे0एम0एफ0सी0 श्री एस.के. तिवारी द्वारा प्रकरण उपापित किए जाने पर मा0 सत्र खण्ड भिण्ड से अंतरित होकर विचारण हेतु प्राप्त हुआ ।
6. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 302/34 भा0द0वि0 के तहत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्तगण परीक्षण में गांव की पार्टीबंदी के कारण झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। उसकी ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गयी है ।
7. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
 - अ- क्या दिनांक 16/3/14 के समय करीब 7 बजे ग्राम माहो में नहर की पुलिया पर आरोपीगण ने दिनेश पुत्र महादेव जाटव की मृत्यु करने का आपस में मिलकर सामान्य आशय का निर्माण किया?
 - ब- क्या उक्त सुसंगत घटना में दिनांक समय व स्थान पर मृतक दिनेश की मृत्यु हुई?
 - स- क्या आरोपीगण द्वारा निर्मित किये गये सामान्य आशय की अग्रशरण में मृतक दिनेश को जान से मारने की नियत से मारपीट कर नहर के पुल के उपर से नीचे फेंककर साआशय उसकी हत्या कारित की?
 - द- क्या आरोपीगण का प्रकरण धारा 300 भा0द0सं0 के चार खण्डों में से किसी एक खण्ड के अंतर्गत निश्चित रूप से आता है?
 - इ- क्या आरोपीगण का प्रकरण धारा 300 भा0द0सं0 में उल्लेखित पांचों अपवादों में से किसी के अंतर्गत नहीं है?

—::—निष्कर्ष के आधार :—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक— अ,ब,स,द,इ, का निराकरण

8. उक्त विचारणीय विंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।
9. अभियोजन की ओर से प्रकरण में अरविंद सिंह (अ0सा0 1), चंदन सिंह (अ0सा0 2), अमरसिंह (अ0सा0 3), रंजीत सिंह (अ0सा0 4) विजय सिंह (अ0सा05), गंधर्व सिंह (अ0सा06), मुन्नालाल (अ0सा07), लालसिंह (अ0सा08), बनवारीलाल (अ0सा09), निरीक्षक शेर सिंह (अ0सा0—10), प्रधान आरक्षक गजेन्द्र सिंह (अ0सा0—11), श्रीमती ज्योति दीक्षित (अ0सा0—12), डॉ अजय गुप्ता (अ0सा0—13), लायकराम टैगोर (अ0सा0—14), एवं एस.आई. डिम्पल मौर्य (अ0सा0—15), की साक्ष्य कराई है। आरोपीगण की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं हुई है।
10. धारा 300 भा0द0सं0 के मुताबिक एतस्मिन् पश्चात **अपवादित दशाओं को छोड़कर** आपराधिक मानवबध हत्या है, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो अथवा

दूसरा— यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है जसको वह अपहानि कारित की गई है अथवा

तीसरा— यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिससे कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त हो, अथवा

चौथा— यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्न संकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है और वह मृत्यु कारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखित उठाने के लिये किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करें। इसी धारा में उन पांचों अपवादों का उल्लेख भी किया गया है जब कि आपराधिक मानवबध हत्या की कोटि में नहीं आएगा। पहला—प्रकोपन जो गंभीर और अचानक उत्पन्न होता है, दूसरा— प्रायवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तीसरा— विधिक शक्तियों का प्रयोग चौथा— पूर्व चिंतन व आदेश की तीव्रता तथा पांचवा— सहमति के रूप में रेखांकित किया जा सकता है।
11. परीक्षित साक्षियों में से डॉक्टर अजय गुप्ता अ0सा0—13 ने

अपने अभिसाक्ष्य में यह व्यक्त किया है, कि दिनांक 17/3/14 को वह जे0ए0एच0 ग्वालियर में फोरेन्सिक मेडीशन विभाग में प्रदर्शक के पद पर कार्यरत था । उक्त दिनांक को मृतक दिनेश के शव का उसने परीक्षण किया था, जिसमें बाह्य परीक्षण में शव चित्त अवस्था में पड़ा हुआ था मृतक जीन्स का पेन्ट अण्डरवियर, टीशर्ट, एवं बनियान पहने हुआ था । कपड़ों एवं शरीर से कीचड़ एवं घास लगा हुआ था । नाक से खून लगा था चेहरे से भी खून लगा था गले में धागा पहने हुये था आंखें मुंह बंद था मृत्यु पश्चात की अकडन पूरे शरीर पर थी एवं लालपन शरीर के पिछले हिस्से पर था । मृतक के शरीर पर मृत्यु पूर्व की निम्नलिखित चोटें थी ।

- चोट क्र0-1 दांये कंधे पर लाल रगड़ 9 X 5 से0मी0
- चोट क्र0-2 दांये पैर के निचले हिस्से में लालरगड़ 1 X 1 से0मी0
- चोट क्र0-3 बांये पैर के अंगूठे पर लाल रगड़ 3 X 2 से0मी0
- चोट क्र0-4 बांये पैर के अंगूठे के बगल वाली उगली पर लाल रगड़ 1 X 1 से0मी0 ।
- चोट क्र0-5 बांये घुटने पर दो रगड़ 2 X डेढ़ एवं 1 X आधा से0मी0 आकार का ।
- चोट क्र0-6 बाईं भुजा पर लाल रगड़ 6 X 1 से0मी0 ।

12. आंतरिक परीक्षण में पेट में 100 ग्राम भूरा पेस्ट जैसा पदार्थ था जिसमें से एल्कोहल जैसी दुर्गंध आ रही थी झिल्ली लाल थी तिल्ली फटी हुई थी पेट में खून जमा हुआ था । सिर की खाल में काफी खून जमा हुआ था बांये कान के नीचे का जोड़ खुल गया था । ब्रेन में रक्तस्त्राव था । फेफड़ें फूले हुये थे हृदय के सामने तक आ रहे थे एवं उन्हें काटने पर झाग जैसा पदार्थ निकल रहा था । हृदय के बांये प्रकोष्ठ में रक्त था । चोटे मृत्यु पूर्व की ताजी थी एवं प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त थी फिर भी फीमर हड्डी जांच के लिये सुरक्षित की गई ।

13. उक्त चिकित्सक ने मृतक दिनेश का शवपरीक्षण उपरांत प्र0पी0-19 की शवपरीक्षण रिपोर्ट तैयार करना बताते हुये यह कहा है कि, मृतक को पाई गई चोटें मृत्यु पूर्व की होकर ताजी थी और प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु के लिये पर्याप्त थी, फिर भी उसने फीमर नामक हड्डी जांच हेतु सुरक्षित की थी, तथा विसरा संरक्षित कर साथ आये आरक्षक को सौंपा था। उसके मतानुसार मृत्यु मृतक दिनेश को उत्पन्न विभिन्न चोटों के कारण स्वशन व हृदयतंत्र के विफल हो जाने से होना पाई थी । चिकित्सक ने यह भी स्वीकार किया है कि, मृतक शराब पीये हुआ था और यदि शराब पी हुई हालत में कोई व्यक्ति नहर में गिर जाये तो मृतक को आई चोटें आना संभव है, तथा पैरा-5 में यह संभावना भी व्यक्त की है कि, मृतक की मृत्यु पानी में डूबने एवं उसे पाई गई चोटों के सम्मिलित प्रभाव से भी हो सकती है । इस कारण अंतिम अभिमत हेतु फीमर नाम हड्डी जांच के लिये सुरक्षित की गई

थी, और मृतक के पानी में डूबने के भी साक्ष्य मौजूद थे ।

14. प्रकरण में अभियोजन द्वारा मृतक दिनेश की फीमर नामक हड्डी एवं नहर का जो पानी प्र०पी०-6 एवं प्र०पी०-23 के जप्तीपत्रक द्वारा जप्त करना बताया है जिसके संबंध में अमरसिंह अ०सा०-3 ने पैरा-3 में नहर के पानी के जप्ती का अभिसाक्ष्य दिया है, और टी०आई० शेरसिंह अ०सा०-10 ने प्र०पी०-6 की जप्ती की कार्यवाही मौके पर अपने अभिसाक्ष्य में करना बताई है, तथा विसरा के संबंध में चिकित्सक के अलावा प्र०पी०-23 के जप्तीकर्ता प्रधान आरक्षक एल०आर० टेगोर अ०सा०-14 ने अपने अभिसाक्ष्य में कथन किया है, किन्तु डाईटम परीक्षण की रिपोर्ट अभिलेख पर पेश नहीं की गई है, जिसके संबंध में न्यायालय द्वारा भी पत्राचार किया गया था । ऐसे में फीमर नामक हड्डी एवं नहर के पानी के परीक्षण की डाईटम रिपोर्ट अभिलेख पर नहीं है ।

15. ऐसे में चिकित्सक के अभिमत अनुसार मृतक की मृत्यु पाई गई चोटों व पानी में डूबने के सम्मिलित प्रभाव से परीलक्षित होती है। चिकित्सक ने स्पष्ट रूप से प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में पाई चोटें मृत्यु के लिये पर्याप्त बताई है, ऐसे में मृतक की मृत्यु की प्रकृति तीनों में से किसी भी प्रकार की संभावित मानी जायेगी, कि मृतक दुर्घटनात्मक रूप से नहर में गिरा जिससे उसे चोटें आई और मृत्यु कारित हुई या आत्महत्यात्मक भी संभव है और हत्यात्मक प्रकृति भी संभव है । यह प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर विशलेषित करना होगा कि, मृतक की मृत्यु का क्या प्रकार माना जाये क्योंकि, अभियोजन की ओर से जो कथानक प्रस्तुत किया गया है उसमें मृतक दिनेश को आरोपीगण के द्वारा अपने साथ ले जाकर शराब के लिये पैसे देने के उपर से विवाद बताते हुये, उसी के अनुक्रम में जान से मारने की नियत से उसे मारपीट नहर के उपर से नीचे फेंक देना बताया गया है इसलिये अभियोजन पर ही यह प्रमाणभार है कि वह अपने कथानक को ही संदेह से परे प्रमाणित करे, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत प्रहलाद वि० स्टेट ऑफ़ एम०पी० आई०एल०आर० 2011 पेज 489 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है, कि आपराधिक मामलों में अभियोजन पर ही मामलों को युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने का भार होता है, और यह भी सुस्थापित विधि है कि अभियोजन जो कथानक लेकर चलता है तो उसे स्वयं ही स्थापित करना होता है । इसलिये हस्तगत मामलों में यह देखना होगा कि क्या अभियोजन द्वारा प्रस्तुत कथानक अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है अथवा नहीं ।

16. अभियोजन कथानक मुताबिक विजयसिंह के द्वारा मृतक के बारे में सूचना दिया जाना बताया गया है, जिस पर से उसके परिजन अर्थात् उसके भाई आदि घटनास्थल पर गये और मृतक दिनेश को वहां से लेकर आये और उसे थाने ले जाकर रिपोर्ट की जिस पर से प्र०पी०-3 की कायमी हुई ।

17. अन्य परीक्षित साक्षियों में से चंदन और विजयसिंह मृतक के चाचा

बताये गये हैं । अमरसिंह भाई रंजीतसिंह, मुन्नालाल और लालसिंह चचेरे भाई तथा गंधर्वसिंह और बनवारीलाल मृतक के मामा होकर रिश्ते के साक्षी हैं, क्योंकि दाण्डिक विचारण में किसी भी साक्षी पर केवल इस आधार पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि वे रिश्ते के साक्षी हैं यह अवश्य है कि, रिश्ते के साक्षी होने की दशा में उनके अभिसाक्ष्य को अत्यन्त सावधानीपूर्वक विशलेषण किया जाना अपेक्षित होता है ।

18. अरविन्द अ0सा0-1 मृतक के मृत्यु पश्चात उसके लाश पंचायतनामा की कार्यवाही का साक्षी बताया गया है, जिसके समक्ष प्र0पी0-1 का सफीना फार्म, प्र0पी0-2 का लाश पंचायतनामा तैयार किया गया था जिसमें अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि उसे गांव से किसी व्यक्ति ने दिनेश के घायल अवस्था में जे0ए0एच0 ग्वालियर में भर्ती होना और वहां मृत्यु हो जाने पर फोन से सूचना दी थी । जिस पर से अगले दिन अस्पताल गया था, जहां उसके सामने प्र0पी0-1 और प्र0पी0-2 की कार्यवाही पुलिस ने की थी, लेकिन उसे जानकारी नहीं है कि दिनेश की मृत्यु कैसे हुई और घटना कैसे घटित हुई । प्र0पी0-1 और प्र0पी0-2 के संबंध में अरविन्द के अलावा चंदनसिंह अ0सा0-2, गंधर्वसिंह अ0सा0-6, लालसिंह अ0सा0-8 ने भी उक्त कार्यवाही होना बताया है । प्र0पी0-1 और प्र0पी0-2 की कार्यवाही लायकराम टेगोर अ0सा0-14 ने करना बताई है । प्र0पी0-1 और प्र0पी0-2 के संबंध में कोई अन्यथा स्थिति साक्ष्य में प्रकट नहीं हुई है, जिससे इस बात की पुष्टि तो होती है कि मृतक दिनेश की मृत्यु दिनांक 16-3-14 को हुई थी, लेकिन आरोपीगण द्वारा उसे मारा गया यह विशलेषित होना है ।

19. चंदनसिंह अ0सा0-2 जिसके द्वारा मृतक दिनेश को घायल अवस्था में वेहोशी की हालत में थाना मालनपुर ले जाकर रिपोर्ट लिखाई गई थी उसने अपने अभिसाक्ष्य में यह कहा है कि घटना के समय उसकी पत्नी ग्राम पंचायत लहचूरा की सरपंच थी, और उसे ग्राम माहों से जब वह हरीराम की कुईया पर था यह सूचना मिली थी, कि दिनेश वेहोशी की हालत में नहर के पानी में पड़ा है और उसके गांव के कुछ लोग दिनेश को वेहोशी की हालत में थाना मालनपुर पहुंचे थे तो वह भी थाना मालनपुर पहुंच गया था । उसने प्र0पी0-3 की एफ0आई0आर0 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर स्वीकार करते हुये यह कहा है कि, पुलिस ने रिपोर्ट में क्या लिखा है इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है, और उसने पुलिस के कहने से शीघ्रता से हस्ताक्षर कर दिये थे तथा दिनेश को इलाज के लिये ग्वालियर लेकर गये थे ।

20. उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया है कि उसके गांव के जितेन्द्र, मुन्ना एवं उसका पुत्र रंजीत मृतक दिनेश को वेहोशी की हालत में लेकर उसके पास हरीराम की कुईया पर आये थे, बल्कि उसने थाना पर मिलना बताया है, और इस बात से इंकार किया है कि उक्त तीनों ने उसे यह जानकारी दी थी कि शाम करीब 7 बजे आरोपीगण दीनदयाल और बलवीर दिनेश को घर से डालकर ग्राम टुडीला की तरफ मोटरसाईकिल से ले गये थे

और नहर पर जाकर शराब पीने के लिये रूपये मांगे उस से झगडा किया, और दिनेश की मारपीट की तथा जान से मारने की नियत से नहर के पुल के उपर से फेंक दिया । उसने इस बात से इंकार किया है कि जितेन्द्र, मुन्ना, रंजीत आदि को उक्त जानकारी खेत में काम कर रहे विजयसिंह ने दी थी ।

21. इस तरह से रिपोर्टकर्ता चंदनसिंह अ0सा0-2 ने अभियोजन के कथानक का समर्थन नहीं किया है वह केवल मृतक दिनेश को वेहोशी की हालत में थाना पर देखना और जल्दबाजी में रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर देना कहता है, अर्थात वह प्र0पी0-3 की एफ0आई0आर0 के बृतान्त के बारे में अनभिज्ञ है, और उसका वह कोई समर्थन भी नहीं करता है । अभियोजन द्वारा इस आधार पर उसे पक्ष विरोधी भी बताया गया और पूछे गये सूचक प्रश्नों में भी उसने प्र0पी0-3 के कथानक का कोई समर्थन नहीं किया तथा प्र0पी0-4 का भी पुलिस को कथन देने से इंकार किया है । इसतरह से उक्त साक्षी से ना तो प्र0पी0-3 की एफ0आई0आर0 प्रमाणित होती है ना ही उसके बताये गये बृतान्त का कोई भी अंश प्रमाणित होता है, और अभियोजन को उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से कोई समर्थन प्राप्त नहीं है ।

22. विजयसिंह अ0सा0-5 जिसके द्वारा घटना की सूचना देना बताई गई वह भी अपने अभिसाक्ष्य में पक्षविरोधी रहा है और उसने अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया तथा यह कहा है कि उसे यह जानकारी नहीं है, कि दिनेश की किसी ने मारपीट की उसे केवल इतना पता है कि दिनेश की मृत्यु ग्वालियर अस्पताल में हुई थी । दिनेश को किसने घायल किया इसके बारे में भी उसे कोई जानकारी नहीं है, और उसने केवल यह स्वीकार किया है कि वह केवल खेती किसानी करता है अपने खेतों पर आता जाता है, और शाम को घर लौट आता है, लेकिन इस बात से इंकार किया है कि दिनांक 16-3-14 को वह अपने खेतों पर था तब उसने आरोपी दीनदयाल और बलवीर को अपने भतीजे दिनेश को मोटरसाईकिल से ले जो हुये देखा । नहर पर गाडी रखकर दिनेश से शराब पीने के लिये आरोपीगण द्वारा पैसे मांगने मना करने पर उसकी मारपीट करना और जान से मारने की नियत से मारपीट करके नहर के पुल से नहर के नीचे फेक देने की घटना देखने से या उसके संबंध में गांव में किसी को सूचना देने से भी इंकार किया है ।

23. इस तरह से उक्त साक्षी का भी कोई समर्थन अभियोजन को प्राप्त नहीं है और विजयसिंह ने भी चंदनसिंह की तरह ही प्र0पी0-11 का पुलिस को कथन देने से इंकार करते हुये यह स्वीकार किया है कि, दिनेश शराब पीने का आदि था और अत्यधिक शराब पीता था, उसकी संगत अच्छे लोगों से नहीं थी और आवाराओं की तरह रहता था । घर परिवार के लोगों को भी उसकी आदतों की वजह से भी कोई चिन्ता फिर्क नहीं रहती थी, जो आये दिन झगडा फसाद करता रहता था और उसकी शिकायतें भी आती रहती थी, लेकिन आरोपीगण को उसने मारपीट करते नहीं देखा था, और उसने यह संभावना भी प्रकट की है कि ऐसा हो सकता है कि दिनेश ने अत्यधिक शराब

पी ली हो, और स्वयं नहर में गिर गया हो जिससे, उसे चोटें आई और उसकी मृत्यु हुई, जैसा कि बचाव पक्ष का भी आधार है, जिसका उक्त साक्षी समर्थन करता है । ऐसे में उक्त साक्षी का अभिसाक्ष्य अभियोजन की वजह बचाव पक्ष के आधार को बल प्रदान करता है, जिससे अभियोजन का मामला संदेह के घेरे में आ जाता है ।

24. मृतक के सगे भाई अमरसिंह अ0सा0-3 अपने अभिसाक्ष्य में दिनेश की दिनांक 16-3-14 को ग्वालियर अस्पताल में मृत्यु हो जाना बताते हुये यह कहा है, कि दिनेश की किन्हीं लोगों ने मारपीट की थी, लेकिन उसे यह जानकारी नहीं है कि दिनेश की मारपीट किन लोगों ने की और उसकी मृत्यु कैसे हो गई । उसने पुलिस द्वारा घटना स्थल का प्र0पी0-5 का मानचित्र उसके समक्ष तैयार करना बताते हुये यह कहा है कि, घटना दिनांक को वह जब पशु चराकर गांव वापिस आया था तब उसे गांव के एक लडके ने यह जानकारी दी थी, कि दिनेश वेहोशी जैसा नहर में पड़ा है, तब वह रंजीत और मुन्ना गये थे और वेहोशी की हालत में दिनेश को लेकर थाने गये थे, जहां से पुलिस ने उसे ग्वालियर अस्पताल ले जाने को कहा था तो ग्वालियर ले गये थे, जहां रात्रि में उसकी मृत्यु हो गई थी । उसने भी चंदनसिंह और विजयसिंह की तरह अभियोजन कथानक का पैरा-4 में कोई समर्थन नहीं किया है, और प्र0पी0-9 का पुलिस को कथन देने से इंकार करते हुये मृतक को शराब का आदि होना आवारा घूमना अच्छे लोगों की संगत ना होना बताते हुये विजयसिंह की तरह ही पैरा-5 में संभावना व्यक्त की है, जिससे उक्त साक्षी मृत्यु दुर्घटनात्मक स्वरूप की संभव बताता है । उसने केवल घटना स्थल से एक जूता नहर का पानी प्र0पी0-6 द्वारा जप्त किया जाना आरोपी दीनदयाल की प्र0पी0-7 और बलवीर की प्र0पी0-8 के द्वारा गिरफ्तारी करना मात्र स्वीकार किया है, लेकिन जप्त बताया गया जूता किसका था इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है । घटनास्थल से मोबाइल फोन की जप्ती होने से वह इंकार करता है ।

25. इसी प्रकार का अभिसाक्ष्य रंजीतसिंह अ0सा0-4, गंधर्वसिंह अ0सा0-6, मुन्नालाल अ0सा0-7, लालसिंह अ0सा0-8 ने भी करते हुये अभियोजन का समर्थन नहीं किया है, और रंजीतसिंह ने प्र0पी0-10, गंधर्वसिंह ने प्र0पी0-12, मुन्नालाल ने प्र0पी0-14 और लालसिंह ने प्र0पी0-16 का पुलिस को कथन देने से इंकार किया है। उक्त सभी साक्षी भी अभियोजन द्वारा पक्षविरोधी बताये गये हैं, जो कि मृतक के निकट संबंधी थे, जिसमें से किसी के द्वारा भी कथानक का समर्थन ना करते हुये आरोपीगण के लिये गये बचाव के आधार का ही समर्थन किया है, जिसमें उन्होंने दुर्घटना की शंका व्यक्त की है ।

26. मृतक दिनेश का मामा बनवारीलाल अ0सा0-9 जो कि आरोपीगण की प्र0पी0-7 और 8 के द्वारा की गई गिरफ्तारी के अलावा प्र0पी0-17 के जप्तीपत्र का भी साक्षी है, जिसके द्वारा एक हरे रंग का लखानी कंपनी का

जूता पुलिस ने जप्त किया था, लेकिन उसके संबंध में उसे जानकारी नहीं है और वह पुलिस के कहने से हस्ताक्षर कर देना बताता है । अनुसंधान के दौरान पुलिस द्वारा घटनास्थल से प्र०पी०-6 के जप्तीपत्र मुताबिक लखानी कंपनी का एक दाहिने पैर का 9 नंबर का मेहन्दी कलर का जूता भी जप्त किया जाना बताया गया है, और प्र०पी०-17 के द्वारा आरोपी दीनदयाल से बांये पैर का उक्त कंपनी व साईज का जूता जप्त बताया गया है, जिसके संबंध में स्वतंत्र साक्ष्य से समर्थन नहीं है ।

27. जप्तीकर्ता टी०आई० शेरसिंह अ०सा०-10 ने प्र०पी०-16 के द्वारा जप्त जूता दीनदयाल से जप्त बताया है किन्तु, उक्त जप्ती मात्र के आधार पर परिस्थितियों की कड़ी घटनाक्रम से नहीं जोड़ी जा सकती है, क्योंकि, कथानक मुताबिक मृतक दिनेश को आरोपीगण दीनदयाल और बलवीर के द्वारा घर से मोटरसाईकिल से नहर तरफ ले जाया जाना वहां शराब के पैसों के उपर से झगडा होना और फिर मारपीट कर नहर में गिरा दिया जाना बताया गया है, जिसके संबंध में घटना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्षी विजयसिंह अ०सा०-5 था, जिसने कतई समर्थन नहीं किया है इसलिये प्र०पी०-17 के जप्तीपत्र को यदि विवेचक के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित भी मान लिया जाये तो उससे अभियोजन का कथानक संदेह से परे प्रमाणित नहीं माना जा सकता है ।

28. प्रधान आरक्षक गजेन्द्रसिंह अ०सा०-11 ने अपने अभिसाक्ष्य में एच०सी०एम० के पद पर थाना मालनपुर के पद पर पदस्थ रहते हुये प्र०पी०-18 की असल मर्ग कायमी करना बताया है, और ग्राम माहों की हल्का पटवारी श्रीमती ज्योति दीक्षित अ०सा०-12 ने घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र०पी०-13 तैयार करना बताया है, तथा प्रधान आरक्षक एल०आर० टेगोर अ०सा०-14 जिसने दिनेश की जे०ए०एच० अस्पताल ग्वालियर में मृत्यु हो जाने पर अस्पताल से प्राप्त सूचना प्र०पी०-20 के आधार पर प्र०पी०-21 की जीरो पर मर्ग सूचना कायम करना और शव परीक्षण हेतु प्र०पी०-22 का आवेदन तैयार करना बताया है, तथा शवपरीक्षण के पश्चात चिकित्सक द्वारा मृतक की फीमर नामक हड्डी, दो बोतल में विसरा, घोल नमूना, कपडों की पोटली आदि सीलबंद अवस्था में प्रदान करने पर प्र०पी०-23 के जप्तीपत्र मुताबिक उसकी जप्ती करना बताया है । उक्त सभी साक्ष्य उपर वर्णित स्थिति मुताबिक औपचारिक स्वरूप के साक्षी हो जाते हैं, और उनसे मृतक दिनेश की चोटों व पानी में डूबने के फलस्वरूप हुई मृत्यु के अलावा अन्य कोई तथ्य स्थापित नहीं होते हैं जो कि मृतक दिनेश की मृत्यु से आरोपीगण को जोडते हों ।

29. उपनिरीक्षक डिम्पल मोर्य अ०सा०-15 ने अपने अभिसाक्ष्य में चंदनसिंह की मौखिक रिपोर्ट पर प्र०पी०-3 की एफ०आई०आर० लेखबद्ध करना बताया है, किन्तु स्वयं चंदनसिंह अ०सा०-2 ने उक्त तथ्य का समर्थन नहीं किया है केवल एफ०आई०आर० पर हस्ताक्षर मात्र स्वीकार किये हैं, और एफ०आई०आर० लेखक ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है कि चंदनसिंह द्वारा समर्थन क्यों नहीं किया । ऐसी स्थिति में उक्त साक्षिया के

अभिसाक्ष्य से प्र०पी०-3 की एफ०आई०आर० को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

30. टी०आई० शेरसिंह अ०सा०-10 ने अपने अभिसाक्ष्य में घटना की शेष विवेचना में साक्षियों के उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध करना चिकित्सक द्वारा जप्त कर भेजी गई वस्तुओं को मेडीकोलीगल संस्थान भोपाल जांच हेतु भेजना बताया है और चालानी कार्यवाही करना कहा है। डाईटम परीक्षण रिपोर्ट के संबंध में उपर लिखा जा चुका है। महत्वपूर्ण साक्षियों में से किसी ने भी घटना का समर्थन नहीं किया है। ऐसे में विवेचक का अभिसाक्ष्य भी औपचारिक स्वरूप का हो जाता है। जहां तक परिस्थितियों का प्रश्न है अभिलेख पर साक्ष्य में जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं उनसे तथा शवपरीक्षण रिपोर्ट मुताबिक मृतक के शरीर में अलकोहल पाये जाने से इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है कि, मृतक जो कि साक्षियों के मुताबिक शराब पीने का आदि था वह शराब के नशे में स्वयं दुर्घटनावश नहर में गिरा हो, जिससे उसे चोटे भी आई और चोटें व डूबने से उसकी मृत्यु हुई।

31. ऐसे में अभियोजन का मामला पूर्णतः संदिग्ध है और किसी भी दृष्टि से मृतक दिनेश की मृत्यु से विचाराधीन आरोपीगण का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई संबंध या सरोकार स्थापित नहीं होता है। ऐसे में उक्त प्रकरण धारा 300 भा०द०सं० के चारों खण्डों में से किसी के अंतर्गत आना नहीं पाया जाता ना ही पांचों अपवादों की श्रेणी में है, बल्कि पूरी तरह से संदिग्ध है।

32. ऐसी स्थिति में विधिक रूप से आरोपीगण का मामला संदिग्ध होने से संदेह का लाभ पाने के पात्र है। अतः उन्हें संदेह का लाभ देते हुये धारा 302 सहपठित धारा 34 भा०द०सं० के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

33. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

34. प्रकरण में जप्तशुदा मृतक की फीमर नामक हड्डी बिसरा, कपड़े, नहर का पानी आदि मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का आदेश मुताबिक निराकरण हो।

35. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये।

दिनांक: 30, सितंबर 2014

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,

(पी.सी. आर्य)

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,

गोहद जिला भिण्ड

गोहद जिला भिण्ड